भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2953
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति

2953. श्री अजय भट्ट:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी निधि आवंटित एवं उपयोग की गई है;
(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत उत्तराखंड के पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रुद्रपुर देहात जिलों में वर्तमान में कार्यशील प्रशिक्षण संस्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;
(घ) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन समूहों/संस्थानों को कोई ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो उत्तराखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, मंत्रालय सामान्य मानदंडों के तहत कार्यान्वित विभिन्न जनसांख्यिकीय और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई अनेक योजनाओं के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल और उन्नत-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण गरीब युवाओं के बीच वेतन रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को कार्यान्वित करता है, जिनका अधिदेश प्रशिक्षित उम्मीदवारों में कम से कम 70% की नियुक्ति या स्वरोजगार सुनिश्चित करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और देश भर के औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी कौशल विकास पहलें कार्यान्वित करता है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

I. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियुक्ति-सम्बद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त करता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार मिलते हैं। डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%) और दिव्यांगजनों (5%) को सामाजिक समावेश प्रदान करते हैं।

II. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रायोजक बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच त्रिपक्षीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई स्थापित करने का प्रावधान है। इसका प्रबंधन लीड बैंक द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अवसंरचना के लिए ₹2 करोड़ की सहायता और ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 100% प्रशिक्षण लागत प्रदान की जाती है। आरएसईटीआई 18-50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप अल्पकालिक, मांग-चालित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, जिनमें सामाजिक समावेश पर जोर दिया जाता है। ये संस्थान बैंकों के साथ ऋण लिंकेज को भी सुगम बनाते हैं और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दो वर्ष तक प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने और उसे बनाए रखने में मदद के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के अंतर्गत पिछले वर्ष और चालू वर्ष (फरवरी 2026 तक) आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

योजना	**डीडीयू-जीकेवाई**		आरएसईटीआई	
वित्त वर्ष	**आवंटित निधि**	**जारी/उपयोग की गई निधि**	**आवंटित निधि**	**जारी/उपयोग की गई निधि**
2024-25	500.00	374.99	250.00	248.41
2025-26	750.00	407.81	300.00	227.52

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग के अभिलेख

III. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से उन्नत-कौशल और पुनः-कौशल प्रदान करने के लिए है।

IV. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरों, नव-साक्षरों तथा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त और 12वीं तक विद्यालय छोड़ चुके व्यक्तियों को

व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें "दिव्यांगजनों" और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु छूट है। ग्रामीण और शहरी निम्न-आय क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

V. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वजीफे के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

VI. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई, उद्योग को कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्ष और चालू वर्ष (दिसंबर 2025 तक) जारी निधि का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	टिप्पणी
2024-25	1550.01	139.55	585.96	पीएमकेवीवाई के अंतर्गत निधि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत की पूर्ति हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत निधि सीधे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत 1500/- रु. प्रति माह तक की वजीफा सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षुओं को जारी की जाती है, न कि कवर किए गए प्रतिष्ठानों को। सीटीएस योजना का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।
2025-26	140.35	111.81	415.04	

स्रोत: एमएसडीई

(ख) उत्तराखंड के पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रुद्रपुर देहात जिलों में वर्तमान में चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) देश में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का विवरण **अनुबंध-II, III और IV** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले 2 वर्षों और चालू वर्ष के लिए आरएसईटीआई के अंतर्गत राज्य-वार प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण, वित्तीय सहायता (ऋण लिंकेज) सहित **अनुबंध-V** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। कौशल विकास की योजनाएं मांग-चालित हैं और अधिकांश योजनाएं देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित/संचालित करती हैं।

(क) उत्तराखंड के पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रुद्रपुर देहात जिलों में कार्यात्मक आरएसईटीआई का विवरण:

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**आरएसईटीआई का नाम**	**प्रायोजक बैंक**	**पता**
1	पौड़ी गढ़वाल	एसबीआई पौड़ी	भारतीय स्टेट बैंक	बजाज शोरूम के पास, कोटद्वार रोड, पौड़ी गढ़वाल
2	अल्मोड़ा	एसबीआई अल्मोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक	ब्लॉक कार्यालय के पास, हवालबाग
3	नैनीताल	बीओबी हल्द्वानी (नैनीताल)	बैंक ऑफ बड़ौदा	होटल नरोत्तम इन के पास, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल
4	उधम सिंह नगर (रुद्रपुर देहात)	बीओबी उधम सिंह नगर (पंतनगर)	बैंक ऑफ बड़ौदा	प्लॉट नं-42, सेक्टर-5, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, पानी की टंकी के पास, सिडकुल पंतनगर (उधम सिंह नगर)

स्रोत: एनएसीईआर

(ख) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत, वर्तमान में उत्तराखंड के उपरोक्त जिलों में कोई प्रशिक्षण संस्थान कार्यात्मक नहीं है।

(ग) उत्तराखंड में एमएसडीई के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी) (31.12.2025 तक)**	**जेएसएस केंद्र (31.12.2025 तक)**	**एनएपीएस प्रतिष्ठान (31.12.2025 तक)**	**आईटीआई (31.12.2025 तक)**	
				सरकारी आईटीआई	**निजी आईटीआई**
उत्तराखंड	196	8	875	99	71

स्रोत: एमएसडीई

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रारंभ से जनवरी 2026 तक देश में राज्य-वार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य	संचयी योग (जनवरी 2026 तक)
		प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	148692
2	अरुणाचल प्रदेश	2435
3	असम	86136
4	बिहार	80518
5	छत्तीसगढ़	59575
6	गुजरात	32404
7	हरियाणा	56041
8	हिमाचल प्रदेश	19793
9	जम्मू और कश्मीर	72602
10	झारखंड	82754
11	कर्नाटक	56911
12	केरल	76984
13	मध्य प्रदेश	93391
14	महाराष्ट्र	71011
15	मणिपुर	7913
16	मेघालय	9070
17	मिजोरम	3478
18	नागालैंड	8150
19	ओडिशा	218770
20	पंजाब	54075
21	राजस्थान	87409
22	सिक्किम	3306
23	तमिलनाडु	80161
24	तेलंगाना	75165
25	त्रिपुरा	13221
26	उत्तर प्रदेश	254238

27	उत्तराखंड	25704
28	पश्चिम बंगाल	45273
29	पुदुचेरी	3154
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1017
	कुल	**1829351**

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरएसईटीआई के अंतर्गत प्रारंभ से जनवरी 2026 तक देश में राज्य-वार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**संचयी योग प्रारंभ से जनवरी 2025 तक**
		प्रशिक्षित
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5769
2	आंध्र प्रदेश	188687
3	अरुणाचल प्रदेश	4782
4	असम	195151
5	बिहार	391373
6	छत्तीसगढ़	174726
7	दादरा और नगर हवेली	9046
8	गोवा	368
9	गुजरात	357124
10	हरियाणा	198031
11	हिमाचल प्रदेश	87085
12	जम्मू और कश्मीर	122400
13	झारखंड	246330
14	कर्नाटक	438049
15	केरल	164219
16	लक्षद्वीप	2596
17	मध्य प्रदेश	469832
18	महाराष्ट्र	345885
19	मणिपुर	9610
20	मेघालय	24936
21	मिजोरम	9753
22	नागालैंड	5150
23	ओडिशा	306686
24	पुदुचेरी	11741
25	पंजाब	162042

26	राजस्थान	452820
27	सिक्किम	6200
28	तमिलनाडु	354505
29	तेलंगाना	107790
30	त्रिपुरा	41580
31	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	6077
32	उत्तर प्रदेश	799436
33	उत्तराखंड	106093
34	पश्चिम बंगाल	198570
	कुल	**6004442**

स्रोत: एनएसीईआर

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभ से दिसंबर 2025 तक देश में राज्य-वार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमकेवीवाई - प्रशिक्षित/उन्मुख (प्रारंभ से 31.12.2025 तक)**	**जेएसएस - प्रशिक्षित/उन्मुख (2018-19 से 31.12.2025 तक)**	**एनएपीएस* - इंगेज्ड (2018-19 से 31.12.2025 तक)**	**सीटीएस/आईटीआई - नामांकित (2018-19 से 31.12.2025 तक)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,501	7,360	420	4,574
आंध्र प्रदेश	5,28,234	80,248	1,03,521	4,16,695
अरुणाचल प्रदेश	98,157	726	341	5,059
असम	8,39,672	68,386	50,120	31,356
बिहार	7,60,662	2,29,447	31,314	8,84,949
चंडीगढ़	28,035	12,120	6,523	7,679
छत्तीसगढ़	2,04,543	1,46,565	30,498	1,76,809
दिल्ली	5,27,730	40,609	1,18,244	80,267
गोवा	10,484	12,547	45,002	16,408
गुजरात	4,71,954	1,23,173	5,15,340	6,80,947
हरियाणा	7,63,070	53,750	3,54,661	4,30,045
हिमाचल प्रदेश	1,76,674	86,411	44,092	1,63,850
जम्मू और कश्मीर	4,29,954	13,236	5,429	57,682
झारखंड	3,14,165	1,02,540	54,049	2,83,095
कर्नाटक	6,05,744	1,43,999	3,92,353	5,64,167
केरल	2,74,836	1,18,023	70,625	2,69,251
लद्दाख	4,076	912	186	2,005

लक्षद्वीप	390	4,733	46	2,356
मध्य प्रदेश	12,16,005	3,66,982	1,29,859	5,82,081
महाराष्ट्र	13,32,519	2,75,214	12,15,498	9,45,222
मणिपुर	1,15,021	49,070	522	3,482
मेघालय	58,967	5,980	1,139	5,661
मिजोरम	44,147	6,591	432	2,533
नागालैंड	54,055	12,322	117	2,014
ओडिशा	6,02,452	3,11,556	56,476	4,43,484
पुदुचेरी	35,597	-	14,775	6,040
पंजाब	5,63,757	22,653	83,788	3,37,863
राजस्थान	14,08,412	95,209	1,00,199	8,46,973
सिक्किम	19,479	-	1,943	2,569
तमिलनाडु	8,89,722	1,00,901	4,72,590	2,84,559
तेलंगाना	4,64,884	79,622	2,02,443	2,55,735
दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	11,842	15,412	12,790	4,640
त्रिपुरा	1,60,367	20,096	2,465	17,811
उत्तर प्रदेश	25,09,363	6,18,416	3,60,627	25,50,273
उत्तराखंड	2,52,138	94,994	1,00,744	83,686
पश्चिम बंगाल	6,51,602	94,378	1,38,619	2,90,331
कुल	**1,64,34,210**	**34,14,181**	**47,17,790**	**1,07,42,151**

** 2133 प्रशिक्षुओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिभाषित नहीं है।*

स्रोत: एमएसडीई

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरएसईटीआई के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों और चालू वर्ष (31 जनवरी 2026 तक) में देश में राज्य-वार वित्तीय सहायता (ऋण लिंकेज) सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	2023-24			2024-25			2025-26 (31.01.2026 तक)		
		प्रशिक्षित	नियोजित	ऋण लिंकेज	प्रशिक्षित	नियोजित	ऋण लिंकेज	प्रशिक्षित	नियोजित	ऋण लिंकेज
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	500	451	284	611	497	388	552	388	220
2	आंध्र प्रदेश	11432	8536	4685	16174	12038	6544	13940	10274	5510
3	अरुणाचल प्रदेश	499	287	201	1042	779	391	680	351	100
4	असम	18132	12155	6518	26097	19080	10590	18632	11049	5229
5	बिहार	30434	24495	14830	41900	32128	18770	30232	19597	11239
6	छत्तीसगढ़	15040	10848	7178	19079	14328	8052	17980	11361	5827
7	दादरा और नगर हवेली	752	528	265	769	547	286	462	395	205
8	गुजरात	23117	15363	8229	30705	22256	11607	19314	13575	6606
9	हरियाणा	15153	10760	4433	20647	15061	7584	13512	9194	3880
10	हिमाचल प्रदेश	6876	5187	2545	10450	7614	4269	6734	4146	1568
11	जम्मू और कश्मीर	8589	6397	4100	19785	14325	7631	10109	7635	4250
12	झारखंड	20760	15370	9082	26681	19849	11708	18068	11989	6375
13	कर्नाटक	25613	20284	12592	31238	23696	13423	25784	18276	10134
14	केरल	10690	8389	6126	14614	11355	7019	10976	8568	5516
15	लक्षद्वीप	467	346	163	589	419	210	449	333	190
16	मध्य प्रदेश	35859	27754	17364	50160	36467	20261	41897	24864	11948
17	महाराष्ट्र	30397	22961	12902	41123	30129	16242	29041	19446	9988

18	मणिपुर	1109	903	754	2664	2057	1325	1631	1021	520
19	मेघालय	2508	1580	856	3840	2779	1490	2123	1021	338
20	मिजोरम	1055	1053	390	2324	1366	517	983	1252	309
21	नागालैंड	603	332	176	669	484	270	500	385	202
22	ओडिशा	22056	19544	13363	30046	24998	17191	21289	16682	10977
23	पुदुचेरी	911	712	483	1251	880	567	920	518	392
24	पंजाब	12332	9398	5749	17779	13274	6711	12203	7592	3383
25	राजस्थान	33293	26740	16388	43116	32669	18371	25239	18592	10358
26	सिक्किम	439	335	227	1020	717	361	822	507	260
27	तमिलनाडु	29073	23835	15073	36951	29561	16351	33851	25169	13924
28	तेलंगाना	7647	6321	4281	10804	8149	4705	9403	5605	3092
29	त्रिपुरा	3386	2653	1436	4309	2765	1463	2926	2245	1144
30	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	585	462	222	965	686	401	764	581	281
31	उत्तर प्रदेश	60513	49873	31034	81135	61939	37309	59269	40479	21233
32	उत्तराखंड	7505	5711	3872	13203	9503	6016	6151	4691	2909
33	पश्चिम बंगाल	14094	10709	7544	19470	14864	9640	15550	10236	6606
	कुल	**451419**	**350272**	**213345**	**621210**	**467259**	**267663**	**451986**	**308017**	**164713**

स्रोत: एनएसीईआर

*****